

## ॥ आवश्यक सूचना ॥

(विज्ञापन संख्या-02/2021)

विज्ञापन संख्या—02/2021 के तहत Six months Certificate in Community Health for GNM/B.Sc Nursing के पदों पर चयन हेतु दिनांक 27.02.2021 को दो पाली में ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) लिया गया है। उक्त CBT में Qualified (30% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी) अभ्यर्थियों को 1:2 के अनुपात में Shortlist किया गया है, जिसे समिति के वेबसाईट—statehealthsocietybihar.org पर अपलोड/प्रकाशित कर दिया गया है। उक्त पद के लिए अंकित अनुपात में Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थियों का प्रमाण—पत्र सत्यापन (Counselling) किया जाना है। प्रमाण—पत्र सत्यापनोपरांत अन्तिम मेधासूची तथा चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

2. Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु Counselling के लिए तिथि/समय/स्थान निम्नलिखित सारणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:-

पद	तिथि	समय	Sl. No.	अभ्यर्थियों की संख्या	स्थान
Certificate in Community Health for GNM/B.Sc Nursing	16.03.2021 (मंगलवार)	10:00 AM - 01:00 PM	1 – 129	129	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना—14
		02:00 PM - 05:00 PM	130 – 258	129	
	17.03.2021 (बुधवार)	10:00 AM - 01:00 PM	259 – 387	129	
		02:00 PM - 05:00 PM	388 – 516	129	
	18.03.2021 (गुरुवार)	10:00 AM - 01:00 PM	517 – 645	129	
		02:00 PM - 05:00 PM	646 – 774	129	
	19.03.2021 (शुक्रवार)	10:00 AM - 01:00 PM	775 – 903	129	
		02:00 PM - 05:00 PM	904 – 1032	129	

पहले चरण (Morning) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 09:30AM एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का Registration Time 01:30PM निर्घारित किया गया है।

- 3. Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थी उक्त तिथि तक (प्रकाशित सूची/तिथि के अनुसार) निम्नांकित समी प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति एवं उसका एक-एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करें। वर्णित तिथि के उपरांत प्राप्त Documents पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  - (i) दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।
  - (ii) उक्त परीक्षा का प्रवेश-पत्र (Admit Card)
  - (iii) फोटोयुक्त पहचान-पत्र, यथा-मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि।
  - (iv) जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
  - (v) Essential Qualification for GNM/B.Sc Nursing:

Working regular Staff Nurse, GNM/B.Sc. Nursing under Govt. of Bihar or; Working contractual Staff Nurse/GNM/B.Sc. Nursing under NHM/Govt. of Bihar or:





Fresh GNM/B.Sc. Nursing

General Nurse and Midwifery (GNM) from a recognised Institute/Bachelor of Science in Nursing from a recognised University/Institution.

## Note:

- Candidates should have permanent registration from Indian Nursing Council/ Any State Nursing Council.
- Selected candidates should provide the permanent registration from Bihar Nursing Registration Council (BNRC), Patna before joining as Community Health Officer.
- (vi) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (vii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है)।
- (viii) पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण—पत्र एवं निवास प्रमाण—पत्र (अविवाहित / विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता—पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण—पत्र एवं निवास प्रमाण—पत्र) एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र मान्य होगा।
- (ix) पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।
- (x) आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य है।
- (xi) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब Document Verification के समय अनुसूचित जाति / जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण—पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण—पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (xii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र।
- (xiii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नितनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र।
- 4. CHO में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी को IGNOU Application Form एवं Surety Bond को भरना अनिवार्य होगा। IGNOU Application Form एवं Surety Bond के बिना आपकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 5. यदि कोई अभ्यर्थी Document Verification में उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण-पत्र नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी।

Rojah

Page | 2



- 6. योग्यता सम्बन्धी प्रमाण—पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण—पत्र के निर्गत होने की तिथि, Cut-off date-(01.01.2021) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।
- 7. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी वेबसाईट—statehealthsocietybihar.org पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted (Qualified) अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/Email के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार जिम्मेदार नहीं होगी।

(राजेश कुमार) उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।